



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय  
Headquarters'  
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002  
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002  
Phone: 011-23604700 Email : dir-gen@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

N-15011/2/2023-P&amp;D

दिनांक : 22 .04.2025

परिपत्र / Circular

विषय:- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 उपधारा 3 के अंतर्गत नागालैंड राज्य के दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, चुमुकेडिमा, निउलैंड, त्सेमिन्यु, वोखा और जुन्हेबोटो के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना संबंधी / Notification under sub section 3 of Section 1 of ESI Act in all the areas of the districts of Dimapur, Kohima, Mokokchung, Chumukedima, Niuland, Tseminyu, Wokha and Zunheboto in the State of Nagaland.

उपरोक्त विषय पर मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग-II-खण्ड-3-उप-खण्ड(ii) में दिनांक 15.04.2025 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 1716(अ) दिनांक 15 अप्रैल, 2025 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है। (गजट.आई.डी.स- **CG-DL-E-15042025-262455**)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत नागालैंड राज्य के 4 आंशिक रूप से अधिसूचित जिलों नामतः दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग, चुमुकेडिमा और 4 गैर अधिसूचित जिलों नामतः निउलैंड, त्सेमिन्यु, वोखा और जुन्हेबोटो के सभी क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 1716 (E) dated 15.04.2025 published in Gazette of India (Extraordinary), Part-II, Section-3, Sub-section (ii) on 15.04.2025 by Ministry of Labour & Employment for information. (Gazette ID No- CG-DL-E-15042025-262455)

Implementation of ESI Act,1948 under Section 1(3) in all the area of 4 partially notified districts namely Dimapur, Kohima, Mokokchung, Chumukedima and 4 non-notified districts namely Niuland, Tseminyu, Wokha and Zunheboto in the State of Nagaland shall be effective from 01.05.2025.

अधिसूचित / गैर अधिसूचित जिलों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है The Current Status of Notified/ Non-Notified districts is as under:

संपूर्ण क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Fully Notified Districts	592
आंशिक रूप से क्षेत्र में अधिसूचित जिलों की संख्या / Partially Notified Districts	99
गैर अधिसूचित जिले/ Non Notified Districts	87
कुल / Total	687/778

संलग्नक - यथोपरि

(अमित कुमार तिवारी)  
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, असम को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस नोट को वेबसाइट पर अपलोड करें।